न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

../2020 तारीखरजूः– 3/7/2020

उनवानः– प्यारेलाल बनाम रत्तीराम वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

फर्द अहकाम

प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री मदनमोहन शर्मा एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए ग्राम राजौली तहसील टोडाभीम जिला करौली की विवादग्रस्त आराजी ख0न0 130/0.37, 200/0.09, 231/0.09, 346/1123/0.11, 42/0.16, 455/0.18, 503/0.13, 54/0.05, 55/0.06, 62/0.30, 848/0.21, 887/1185/0.29, 97/0.21, 98/0.64, 126/0.49, 18/0.15, 228/0.09, 345/0.29, 40/0.17, 46/1093/0.03, 481/0.18, 51/0.23, 56/0.12, 57/0.18, 63/0.18, 859/0.60, 860/1219/0.28, 888/1192/0.10, 89/0.51, 99/0.52, 147/0.22, 148/0.19, 149/0.36, 43/0.18, 44/0.06, 448/0.09, 489/0.10, 638/0.17, 639/0.20, 124/0.29, कुल किता 40 कुल रकवा 8.87 है0 मे सायल व गैरसायल को आज दिनांक को जो मौके की स्थिति है उसे यथावत रखने हेतु दिनांक 10.7.2020 तक पाबन्द किया जाता है।

2050-52
3/7/2020

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस, आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 10.07.2020 को पेश हो।

03/7/2020
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

10.7.20 प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी नं. 1 से 11 की ओर से श्री सुनील कुमार जिंदल Adv ने उपस्थिति दर्ज कर वकालतनामा पेश करने का कथन किया। वकालतनामा व जवाब पेश करने दि० 7-8-20 को पेश हो।

अप्रार्थी
1 ता 11
(हस्ता०)

7.8.20 वकलाय उप०। गतानुसार दिनांक 4.9.20 को पेश हो।

4.9.20 वकलाय उप०। अप्रार्थी नं. 12, 13 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी नं. 1 ता 11 का वकालतनामा व जवाब पेश करने का एक अवसर चाहा। समय दिया। वकालतनामा व जवाब पेश करने दिनांक 28-9.20 को पेश हो।

9.9.20 वादी उपस्थित इनकी ओर से श्री कृष्ण कुमार मित्तल Adv ने वकालतनामा पेश किया। मिसल तलबी प्रार्थना पत्र पेश कर मूल दावा विड्रो कराते हुए खारिज करा लिया है अतः इस प्रार्थना पत्र को को चलाने की आवश्यकता नहीं है अतः यह नि० प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

Identified

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करौली